आवश्यक

संख्या: 35/2018/1545/12-2-2018-14/2016

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 20 सितम्बर, 2018

विषय: फसल अवशेष न जलाने के सम्बन्ध में कृषकों के मध्य जागरूकता फैलाने हेतु तहसील स्तर पर विद्यार्थियों के मध्य पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि फसल अवशेष जलाना एक गम्भीर समस्या है। प्रदेश में कुल लगभग 60.00 लाख हे0 क्षेत्रफल में धान एवं लगभग 98.00 लाख हे0 क्षेत्रफल में गेहूँ की खेती की जाती है। विगत कुछ वर्षो में कृषक मजदूरों की कमी तथा विशेषकर धान एवं गेहूँ की कम्बाइन से कटाई/मडाई किए जाने के कारण अधिकांश क्षेत्रों में कृषकों द्वारा फसल अवशेष को जलाये जाने के कारण वातावरण प्रदूषित होने के साथ-साथ मिटटी के पोषक तत्वों की अत्यधिक कमी के साथ ही मिटटी के भौतिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। जनपदों में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों यथा स्थायी होर्डिंग्स लगाकर, वाल राइटिंग कराकर, समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन एवं कृषक जागरूकता कैम्प आदि के माध्यम से कृषकों को जागरूक किया जा रहा है।

2- इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 को कक्षा-9 से 12 के विद्यार्थियों हेतु "फसल अवशेष न जलाये जाने" के संदर्भ में तहसील स्तर पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाय एवं दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 को ही इसका मूल्यांकन कर दिनांक 02 अक्टूबर, 2018 को स्वच्छता अभियान के उपलक्ष्य में विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाय। पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले विद्यार्थी को रूपये 10,000/-, द्वितीय स्थान पाने वाले को रूपये 7,500/- तथा तृतीय स्थान पाने वाले विद्यार्थी को रूपये 5,000/- का पुरस्कार कृषि विभाग द्वारा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त 10 सबसे अच्छे पेंटिंग करने वाले विद्यार्थियों को दिनांक 26 अक्टूबर, 2018 से दिनांक 28 अक्टूबर, 2018 तक राज्य स्तर पर आयोजित होने वाले कृषि कुम्भ में विशेष पुरस्कार दिया जायेगा तथा इनमें से 50 चयनित पेंटिंग्स को कृषि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कुम्भ के थीम (Theme) गैलरी में प्रदर्शित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में आपको शीघ्र ही पत्र/दिशा निर्देश प्रेषित किया जायेगा।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तहसील स्तर पर विद्यार्थियों के मध्य पेंटिंग प्रतियोगिता की तैयारी तत्काल जिला विद्यालय निरीक्षक एवं कृषि विभाग के अधिकारियों के सहयोग से आरम्भ कराने हेतु सभी एस0डी0एम0 को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि फसल अवशेष न जलाने विषयक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन ससमय सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया जाय।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 35/2018/1545(1)/12-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की कृपया अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक, उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(प्रशांत शर्मा)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।